

**(प्रोफेशनल शैक्षणिक संस्था)**

शैक्षणिक संस्था

प्राप्ति संख्या १०२८ इमारत क्रमांक ३०५८

पुस्तकालय मुद्रा विभाग

प्राप्ति संख्या १०२८ इमारत क्रमांक ३०५८

प्राप्ति संख्या १०२८ इमारत क्रमांक ३०५८

११६१/८८८ प्र  
7A

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झाँसी  
प्राप्ति संख्या प्राप्ति संख्या १०२८ इमारत क्रमांक ३०५८  
दारा रिह पर वन्देश्वर शिव आय ३० तरी निवासी ग्राम पुनावली कला ग्राम  
रक्षा तिला झाँसी।

बजाम

१. अस्तर परदेश सरकार

२. अमान पर गुल निवासी ग्राम पुनावली कला ग्राम जिला झाँसी  
उपरा।

भेजने की तिथि (Order dated ३०/११/२१)

Called CM. Appellant's counsel present.  
Let copy of the application 7A be sent  
to the office of Court concerned for  
eliciting his comments/report to be deald  
महाद्वया,

(Cover, for ३०/११/२१)

यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

- श्री- ०१- यह कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमे में अभियोजन साक्षी है और प्रार्थी का मार्ड  
(S.J) कल्याण सिंह वादी है।
- ०२- यह कि फीटासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य ने प्रार्थी को दिनांक ०८.  
१०.२०२१ को अपने चैम्बर में बुलाकर बोले कि तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते  
हो। मैं वादी और गवाहो को भी सजा कर देता हूँ तुम लोग दो लाख रुपये की  
व्यवस्था करो नहीं तो जेल जाने को तैयार हो जाओ।
- ०३- यह कि मैंने हाथ जोड़कर कहा मैं गरीब किसान हूँ मेरे पास रुपये नहीं  
हैं “मैंने क्या गुनाह किया है” मैं तो गवाह हूँ तो मुझे मां बहिन की गालियां देने  
लगे और बोले तू बड़ा गवाह बनता हूँ, और तेरा वकील बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं तुझे  
व तेरे नेता वकील को जेल में डलवा दूंगा। नहीं तो जमीन या मकान बेचकर  
रुपये का इन्तजाम कर लो।

Copy or order forwarded to ASI/f T-ग्रा. Jm.

for information & Necessary Action ०४- यह कि इससे पहले उन्होने मेरा गिरफ्तारी वारण्ट जारी कर दिया था।  
and report by ३०/११/२१।

जबकि मेरी कोई गलती नहीं थीं मैंने गिरफ्तारी वारण्ट वापस कराया मुझे देर  
शाम तक बैठाये रखा और मुझसे कहा तुम अपने वकील के खिलाफ शिकायत  
करो मैंने कहा साहब मेरे पास रुपया नहीं हैं और मैं गलत शिकायत नहीं करूंगा

By Order उन्होने मुझे परेशान करने के लिए एक नोटिस भेज दिया जिसकी छायाप्रति  
संलग्न है।

Sadar Munsarai P. S. जिला झाँसी संलग्न है।  
अधिकारी का नाम  
J. M. (S.J.)

दारासिंह

1/19

B/49

✓ 7A

.....2.....

05— यह कि जज साहब ने मुझसे यह भी कहा अब मै रूपये लेकर अमान आदि को बरी कर दूंगा, और तुम्हे सजा कर दूंगा। मुझे श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

### प्रार्थना

अतः महोदय से प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ0टी0सी0— 2 पीठासीन अधिकारी विमल प्रकाश आर्य के न्यायालय से सत्र परीक्षण स0— 169 / 2017 धारा— 323, 307, 504 आई0पी0सी0 व अ0स0— 253 / 2016 थाना रक्सा सरकार बनाम अमान आदि को किसी अन्य न्यायलय में अन्तरित करने की कृपा करें। जिससे प्रार्थी को न्याय मिल सके।

दिनांक— 10.11.2021

प्रार्थी

दारा सिंह पुत्र बृन्दावन सिंह  
निवासी— ग्राम पुनावली कला थाना  
रक्सा जिला झौंसी।



विवरण द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार इसका उपरान्त पर्याप्त है।  
 अनुदर्शन में साक्षी ही पुर्व मिस्टर लिलियर डार्लिंग/साक्षी द्वारा दोनों लोटरीनों का टोको लगा था जिस कारण उन्हें धनराश को लाने के लिए आ गए। यह लिलियर कारण धनराश/साक्षी व्यापारिक अधिकारी के लगभग साथ देते भवते आ गए। यहां जिस पर अधिकारी ने लगाया है।  
 साक्षी के व्यापारिक वारंट कर दिये गए आप साक्षी व्यापारिक द्वारा द्यू पुराणी/साक्षी के वारंट को बदल दिया गया है।

अतः व्यापारिक व्यापारिक द्वारा सिद्ध के पुराणी/मालिक द्वारा सिद्ध के लगानीलोग वारंट कर दिया गया है।  
 तिक्ति पुरान करने की छपा करें।

दिनांक - 17. 08. 21

17.08.2021  
 साक्षी व्यापारिक द्वारा साक्षी के अधिकारी द्वारा दोनों लोटरीनों का व्यापारिक वारंट दिया गया था। यह लोटरीनों के दो वारंट हैं। यह दोनों वारंट के दो वारंट हैं। यह दोनों वारंट के दो वारंट हैं। यह दोनों वारंट के दो वारंट हैं।

इष्टांश  
17.08.2021

दारा सिद्ध पुराणी व्यापारिक व्यापारिक  
 निर्दृग्म पुराणी व्यापारिक व्यापारिक  
 विला द्वारा सिद्ध करें।

जहरील कार्यक्रम

(10 रुपये द्वारा सिद्ध)

10. क्र. 100 की रुपये, 100  
 दर्द 100  
 दर्द 100  
 दर्द 100  
 दर्द 100

1/23

8/53

FORM NO. 45

~~BILL ATTENDANCE BEFORE OFFICE INCHARGE  
POLICE STATION OR COURT~~

See [Section 436, 437, 438 (3) and 411]


Court of Special Judge F.T.C & Thanes  
of 2017

Date of 4.1.17 Versus Aman Singh etc.  
U/s 307, 323, 324, 326, 115  
P/S Raksha,  
Dist. Thanes

Name Door Singh S/o Brahdaban Singh  
R/o Village Prinawalkela Raksha  
P/S Raksha

Dist. Thanes having been arrested or detained without  
warrant by the officer Incharge of Raksha Police Station  
for having been brought before the Court of Special Judge F.T.C & Thanes Charged  
with offence of 307, 323, 324, 326, 115 Required to give security for my  
attendance before such officer of court on commission the I shall attend such office of  
court on everyday on which and investigation or trials is help with regard to such charge  
and in case of making default here in, I bind myself to forfeit to U.P. Government the sum  
of rupees. 10,000/-

This Dated 17 Day of Oct 20<sup>17</sup>)

  
Signature

I Know Dora Singh he has signed/put his L.T.I. before me

Advocate

(मेरा नाम खुर शुक्ल  
अधिकारी  
प्रौद्योगिकी कानूनी सेवा (एसडीएस)  
काठ मैट्रिकल नं 1234  
पंजाब संख्या-5739789  
मो 90-9415502219

विश्वाम कक्ष

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, F.T.C. (झाँसी)

(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

दिनांक- 03. 09. 2021.

एस

दनाम

श्री चन्द्रशेखर शुक्ल (एडवोकेट)

फोड नं०- 1289, पंजीयन सं०- 5739/ 89

विषय:- बिना वकालतनामा के सत्र परीक्षण सं०- 169/ 2017 राज्य बनाम अमान आदि अन्तर्गत धारा- 323, 307, 504 IPC मु०अ० सं०- 253/ 2016 थाना- रक्सा, जिला झाँसी में साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।

आपके द्वारा दिनांक- 17. 08. 2021 को उपरोक्त मामले में साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने के बावत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था और आपके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था।

अतः आप दिनांक- 18. 09. 2021 को प्रातः 11 बजे तक अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराये कि क्या दिनांक- 17. 08. 2021 तक आपके द्वारा उक्त पत्रावली में साक्षी दारा सिंह की ओर से कोई वकालतनामा दाखिल किया गया था अथवा नहीं। यदि आपके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था तो किस प्राधिकार से आपने साक्षी की ओर से वारण्ट रिकॉल प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और क्यों न इस बावत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाए।

  
अपर सत्र न्यायाधीश, (F.T.C.) झाँसी।  
(चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

Sir  
Copy Recd  
B.M.  
10/09/2021

195

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) महोदय,  
झाँसी

प्रार्थना पत्र संख्या—  
सरकार बनाम

सन् 2021  
अमान आटि  
धारा— 307, 504, 506 भा०द०स०  
थाना— रक्सा जिला झाँसी  
मु०स०—169 / 2017

महोदय,

प्रार्थना है कि प्रार्थी को श्रीमान जी के न्यायालय से एक नोटिस दिनांकित 17.08.2021 को प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना है कि प्रार्थी ने जमानती गिरफतारी अधिपत्र निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और साक्ष्य हेतु उपस्थित था श्रीमान जी द्वारा 10,000 / रु का व्यक्तिगत बन्धपत्र मांगा गया था जो कि प्रार्थी ने प्रस्तुत कर दिया था जानकारी न होने के कारण प्रार्थी घर चला गया था पुनः बुलाने पर गाँव से फिर वापस आया था प्रार्थी को जानकारी के अभाव में यदि कोई त्रुटि हुयी हो तो क्षमा चाहता है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि नोटिस के सम्बन्ध में जवाब

दिनोंक—03.09.2021

प्रार्थी

दारा सिंह

प्रार्थना पत्र  
दारा सिंह गुर्जर पुत्र श्री बृन्दावन  
गुर्जर निवासी ग्राम पुनावलीकला  
रक्सा थाना रक्सा जिला झाँसी  
उठोप्र० ।

प्रार्थना पत्र  
दारा सिंह गुर्जर पुत्र श्री बृन्दावन  
गुर्जर निवासी ग्राम पुनावलीकला  
रक्सा थाना रक्सा जिला झाँसी  
उठोप्र० ।

1918

2

ग्राम्य गोपनीय FTC फॉर्म नं. 51

४१.८०. १६९/२०१७

मराठा लग्न अमावस्या २

धारा - ₹ 23,307,504.३०

वटा - ₹ ५५८।

गोपनीय

लिंगने विशेष १७ दिसंबर १७-०८-२०२१

मेरी प्रेती के लिए इस मेरे आड़ पा ता गोपनीय इसका यह  
प्रभावी उपरोक्त दिनों के उपायिक्त इसका तथा यह  
दोनों द्वारा प्राप्ति या उपरोक्त अपेक्षित गोपनीय के  
मुख्य द्वारा दोषित करा दिया परतु गोपनीय की जानकारी के  
मध्य एक या उपरोक्त प्रभावली में छुप्ली की व्यापकता वह  
है उनके प्रतिपथ के एवं कलालग्नता लगता या जिसकी उपरोक्त जानकारी  
एवं एक द्वारा काठमों वंशपत्र अरकर भस्त्र सोच कर पता गया है  
को वर्णन अपनी तरीके पर होते हैं याकूब इस दिन अपेक्षित होने  
के समान यह इस दिन अपेक्षित होने के सुलाखन नहीं होता  
मेरी द्वारा जलवाया जाने वाली नहीं हो जाती है अपेक्षित  
शाश्वत द्वारा जीवन वाले तमेज उपायिक्त इसके अनुभव  
में इस वाली के लिए ग्राम्य गोपनीय गोपनीय वाले तमेज अपना है  
अपने हमे ने दिया उपरोक्त वाले द्वारा है,

अतः गोपनीय के लिए विशेष धारा  
परतु नोटिस विविध वाले द्वारा है।

गोपनीय  
गोपनीय  
गोपनीय  
गोपनीय  
०३/०९/२०२१

गोपनीय दायरिंद

दायरिंद कुप्रिय लिंगने विशेष  
दिन ५-१२-२०२१ द्वारा  
दायरिंद २५-१२-२०२१ द्वारा

न्यायालय श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी10) महोदय झॉसी

प्रार्थना पत्र संख्या-

सन् 2021

सरकार बनाम

अमान आदि

धारा— 323, 307, 504, भाष्टद0स0

थाना— रक्सा जनपद झॉसी

मु0अ0स0—253 / 2016

सत्र परीक्षण संख्या—169 / 2017

विषय :—माननीय महोदय द्वारा निर्गत आदेश नोटिस दिनांकित 03.09.2021 जो

सत्र परीक्षण संख्या 169 / 2017 धारा—323, 307, 504, ता0डिं मु0 अ0 स0

253 / 2016 थाना रक्सा में प्रेषित

महोदय,

निवेदन है कि सत्र परीक्षण संख्या—169 / 2017 राज्य बनाम अमान आदि में आपके द्वारा दिनांक—03.09.2021 को एक नोटिस इस आशय का प्रेषित किया गया है कि मेरे द्वारा बिना वकालतनामा के साक्षी दारा सिंह का जमानतीय वारण्ट निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है इस सम्बन्ध में माननीय महोदय से अनुरोध है कि मेरे द्वारा साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया है वारण्ट रिकाल का प्रार्थना पत्र साक्षी दारा सिंह की ओर से ही प्रस्तुत किया गया था अगर मेरे द्वारा किये गये उक्त कार्य से श्रीमान जी के सम्मान में कोई कमी आयी हो तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि दिनांक—03.09.2021 को उक्त सम्बन्ध में जारी नोटिस वापिस लेने की कृपा करें।

दिनांक—18.09.2021

भवदीय

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

सी0जे0एम0कोर्ट कम्पाउण्ड झॉसी

12/4

**FORM NO. 45**

**BOND AND BILL ATTENDANCE BEFORE OFFICE INCHARGE  
POLICE STATION OR COURT**

See (Section 416, 417, 418 (1) and 411)

In the Court of Social Judge t/l n T 4181  
Case No. .... of .....

..... Versus Aman and Others  
U/s 307, 504, 506 I.M.  
P/S Rakha  
Dist. Thars

I Name Dara Singh S/o Banabir Singh  
R/o Village Panchicala Rakha Thars  
P/s Rakha

Dist. Thars having been arrested or detained without warrant by the officer Incharge of Rakha Police Station for having been brought before the Court of Social Judge t/l charged with offence of 307, 504, 506 I.M. Required to give security for my attendance before such officer of court on commission the I shall attend such office of court on everyday on which and investigation or trials is help with regard to such charge and in case of making default here in, I bind myself to forfeit to U.P. Government the sum of rupees 10,000/-

This Dated ..... 03 Day of 09 2021

दरासंह

Signature

I Know Dara Singh he has signed/put his L.T.I. before me

*13/9/21*  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०)  
(चौहड़ी वित्तीय आयोग के तहत गठित), झाँसी  
C 3-9-21

*Advocate 03/09/21*

(प० अन्दशखर शुभल)  
अधिवक्ता  
गोपेश्वर कौर कम्पाउण्ड, झाँसी (उत्तराखण्ड)  
कोड ८०-१२८९  
घंजीयन संख्या-५७३९८९  
मोबाइल नं०-९४१५५०२२१९

संशोधन का नाम  
राज्य सरकार द्वारा दिल्ली न्यायालय के द्वारा दिल्ली न्यायालय  
द्वारा दिल्ली न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अपनी समीक्षा  
दिनांक 29. 8. 2021

लोगों का नाम

दरवाजा:

दूर दृष्टि द्वारा दिल्ली न्यायालय

क्रमांक नं. 1285 परिवर्तन सं. 5739 84

लिखित: दिना वकालतनामा के सच एवं शिक्षण सं. 169/2017 राज्य दरबार अमान भर्ती दिनांक 03.08.2017  
IPC मूलभूत सं. 253/2016 थाना- राज्या, जिना द्वारा मे मार्श द्वारा दिल्ली न्यायालय के द्वारा दिल्ली न्यायालय  
द्वारा प्रस्तुत किये जाने व गलत एवं भ्रामक आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने के सबैध में

आपको अवगत कराया जाता है कि आपने दिनांक- 17. 08. 2021 को साक्षी दारा सिंह का उम्मीदवाला दाखिल  
निरस्त करने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और आपके द्वारा कोई वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया और आप साक्षी का  
दिना साक्ष्य अंकित कराये न्यायालय कार्य अवधि के पूर्व ही उक्त साक्षी को अपने साथ न गय और आपके द्वारा कोई  
वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया था। इस बावत आपको एक नोटिस दिनांक- 03. 09. 2021 का दिया गया था,  
जिसमें आपने यह कथन किया है कि "माननीय महोदय से निवेदन है कि मेरे द्वारा साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर का  
प्रमाणित किया गया है। वारण्ट रिकॉल का प्रार्थनापत्र साक्षी दारा सिंह की ओर से ही प्रस्तुत किया गया है, और द्वारा  
किये गये उक्त कार्य से श्रीमान जी के सम्मान में कोई कमी आयी है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ।"

आपको अवगत कराना है कि साक्षी दारा सिंह द्वारा दिनांक- 17. 08. 2021 को दिये गये प्रार्थनापत्र में साक्षी का  
कहीं भी फोटो चर्चा नहीं है और न ही आपने साक्षी दारा सिंह के फोटो व हस्ताक्षर को प्रमाणित किये जाने का उल्लेख किया  
है। इससे ज्ञात होता है कि आपके द्वारा गलत आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है और न्यायालय को गुमराह करने का  
प्रयास किया है।

अतः आप दिनांक- 12. 11. 2021 को अपना स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तुत करें कि समय से पूर्व  
दिनांक- 17. 08. 2021 को साक्षी को न्यायालय से ले जाने और न्यायालय में साक्षी को उपस्थित न होने देने व साक्षी के  
प्रार्थनापत्र दिनांकित- 17. 08. 2021 के फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित करने के बावत गलत व भ्रामक आख्या प्रस्तुत करने  
पर क्यों न आपके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा- 174, 177, 186 के तहत कार्यवाही की जाए। आप यह भी बताये  
कि दिनांक- 17. 08. 2021 को साक्षी दारा सिंह का जो प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था क्या वह प्रार्थनापत्र आपके  
हस्तलेख में नहीं है और यदि वह आपके हस्तलेख में नहीं है तो वह किसके हस्तलेख में है और इस बावत अपना शपथपत्र भी  
दाखिल करें और यह भी बताये कि दिनांक- 17. 08. 2021 को आपने निजी बंधपत्र पर किसके आदेश से अपनी जुहर  
लगायी व धनराशि 10,000/- रुपये अंकित कर न्यायालय में दाखिल की।

मेरी जानकारी के लिए दिल्ली न्यायालय के द्वारा दिल्ली न्यायालय  
(राज्य सरकार द्वारा दिल्ली न्यायालय के द्वारा दिल्ली न्यायालय  
द्वारा दिल्ली न्यायालय में प्रस्तुत किया गया अपनी समीक्षा)  
12/5

29/08/2021

अपर सत्र न्यायाधीश, (F. T. C.) जाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

Digitized by srujanika  
Digitized by srujanika  
Digitized by srujanika

"Sneha Suganya Gopal  
Mehul

प्रेषक	विमल प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय ) , झाँसी । ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )
सेवा मे	भीमान अध्यक्ष बार एसोशिएशन, झाँसी ।
विषय	श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट पर नोटिस की तामीली कराये जाने के संबंध मे ।

**महोदय**  
अवगत कराना है कि श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट को अपने अर्दली के माध्यम से नोटिस प्रेषित किया जा रहा है, जिन्होने लेने से इंकार कर दिया और इस बावत मेरे न्यायालय के कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है ।  
अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त नोटिस की तामीली श्री चन्द्रशेखर शुक्ल एडवोकेट पर कराकर दिनांक- 12. 11. 2021 से पूर्व न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करे ।

दिनांक- 01. 11. 2021

भवदीय  
  
 ०१।।२०२१  
 ( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय ) , झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

*प्राप्त  
र/व  
०१।।२०२१*

ASJ/FTC II

No चालोखर शुक्ल  
अधिवक्ता

ज्ञेन्द्रमो कोटे कम्पलेज, लासी (उम्प०)  
काउ न०-1289  
पत्तीयन सख्ता-5739/89  
मो० न०-५५१५५०२२१९

५७३९/८९  
५५०२२१९

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झॉसी

अन्तरण प्रार्थना पत्र स० ४१२ सन् २०२१

१- महेन्द्र कुमार वर्मा उपर रिकू पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा उम्र ३५ वर्ष निवासी—  
ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली झॉसी उम्प०।

२- डालेचन्द्र वर्मा उपर उम्प० डब्बू पुत्र श्री महरवान उम्र ४५ वर्ष निवासी— महावीरनपुरा  
नगरा थाना प्रेमनगर जिला झॉसी।

बनाम

१- उत्तर प्रदेश सरकार

२- हरप्रसाद दमेलिया पुत्र स्व० श्री हल्केराम दमेलिया निवासी— १२८९ जूनियर  
हाई स्कूल के पास खजुरबाग रोड नई वस्ती थाना कोतवाली जिला झॉसी उम्प०।

Called Out. Called for the applicant's  
present. Let copy of the complaint be  
sent to P.O. of the Court concerned

to elicit his comments/replies in.

१- यह अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आधारे पर प्रस्तुत है :-

Allocated Cover.

Put upon ३०/११/२१ for P.O. १- यह कि विद्वान पीठासीन अधिकारी, श्री विमल प्रकाश आर्य ने पूर्व नियत

११/११ दिनांक ११.०१.२०२१ को मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और कहा कि मेरी पत्ती से

(१.१) मेरा झगड़ा चल रहा है वह मेरे साथ रहती नहीं है मैं परेशान रहता हूँ। इसलिए  
तुम मुझे आर्मी कैण्टीन से अच्छी क्वालिटी की शराब व एक सुन्दर कन्या की  
व्यवस्था करो। नहीं तो मैं तुम लोगों को किसी बहाने जेल भेज दूँगा और तुम्हारे  
जमानते निरस्त कर दूँगा। मैंने जब मना कर दिया तो उन्होंने मुझे परेशान किया  
पत्रावली को चैम्बर में रख लिया।

२- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहा कि तुम अपना वकील

बदल लो और जो मैं कहूँ वह पूरा कर दो मैं चहीं तो तुम लोगों को इस केस में  
प्रियोरिटी नहीं दूँगा।

३- यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझे यह भी धमकी दी है कि मैं बिना रूपया

लिये या बड़ी गिफ्ट लिये कोई काम नहीं करता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने जिन

By Order

Sardar Mansoor Ali Khan, Clerk  
Sessions Judge  
Jhansi (U.P.)

मेरे-३ द्यारा

8/51 1/21

में कोई गवाह नहीं थे, मैंने सजा कर दी है और जिन केसों में गवाह थे उन्हें से मैंने बरी कर दिया है।

4— यह कि पीठासीन अधिकारी ने मुझसे यह भी कहाकि तुम अच्छी हैसियत वाले हो तो जो मैं कहता जाऊँ वह तुम करते जाना अन्यथा सजा के लिए तैयार रहना और पता लगा लों। मैंने जब से झाँसी में चार्ज लिया है जिन केसों में एक भी गवाही नहीं है उनमें मैंने सजा की है, और जिनमें गवाह आया है उन केसों में मैंने बरी किया है।

5— यह कि मुझे पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य से न्याय मिलने की आशा नहीं है मैं उनके स्वार्थों की पूर्ति नहीं कर सकता हूँ। उपरोक्त प्रकरण को न्यायहित में किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित करना न्यायहित में आवश्यक है।

### प्रार्थना

अतः न्यायालय श्रीमान जी से न्यायहित में प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य (एफ0टी0सी0— 2) के न्यायालय में लम्हित अ0स0—<sup>१</sup>701 / 2015 धारा— 307 भा0द0स0 थाना नबाबाद को किसी अन्य न्यायालय में न्यायहित में अन्तरित करने की कृपा करें।

दिनांक— 10.11.2021



Copy or order issued to...  
for information & Necessary Action

प्रार्थी  
मैं जी

महेन्द्र कुमार वर्मा उर्फ रिकू पुत्र रमेश महेन्द्र वर्मा  
निवासी— ओमशान्ति नगर, थाना कोतवाली झाँसी  
By Order  
Subr Manasam/Sessions Cte.  
Sessions Court

४/५२

१/२२

सेवा मे

CTB

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायालय महोदया

डॉर्सी

विषय - अपर सत्र न्यायालय श्री विमल प्रकाश आर्या द्वारा उत्पीड़न किये जाने के  
सम्बन्ध मे।  
महोदया

विनम्र निवेदन है कि आज दिनांक 01.11.2021 का मण्डात्र बनाम डालचन्द्र आदि धारा- 307 भाइवारी भाना नवावाद जनपद डॉर्सी अस०-701/2015 की पत्रावली आज की तिथि मे नियत है प्रातः 10:00 बजे गे प्रकरण मे सम्बन्धित दाना अभियुक्तगण न्यायालय मे खड़े हुगे है पत्रावली का पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्या अपने विश्राम कक्ष मे रखे हुये है मरे द्वारा कुछ दिन पूर्व अन्य अधिवक्ताओ के साथ श्री विमल प्रकाश आर्या की शिकायत माननीय सच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एवं महोदया से की थी जिससे श्री विमल प्रकाश आर्या मुझसे अत्यधिक नाराज है और द्वेष भावना पूर्वक कार्यवाही कर रहे है मुझ यह भी जानकारी हुयी है कि वह प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1- डालचन्द्र 2- महेन्द्र उपस्थित है और न्यायालय के बाहर खड़े है वह जनवृजकर मेरे एवं अभियुक्तगणो के विरुद्ध उत्पीडनात्मक कार्यवाही करना चाहते है।

अतः माननीय महोदया से प्रथना है कि उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक-01.11.2021

Summons  
Recd  
from  
the Court  
of  
1/1/21

प्रतिलिपि.....A.O.1/E.T.C.....  
.....(14 F.C.).....  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
सूचनार्थ एवं आरोपित अनुप्रलन  
हेतु प्रेषित।

मवदीय  
Ranu M 01/11/2021

(चन्द्रशेखर शुक्ला)  
अधिवक्ता

प्रार्थिगण

- 1-डालचन्द्र 01/11/2021  
2- महेन्द्र महेन्द्र 3 जुलाई

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी  
न्यायालय, डॉर्सी  
01.11.2021

प्रेस्ट

( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश( F. T. C. ), झासी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

सेवा मे

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झासी ।

विषय

:सत्र परीक्षणीय सं० 11/ 17 राज्य बनाम डालचन्द्र उर्फ डल्लू आदि की पत्रावली स्थानातरित किये जाने के सम्बन्ध मे ।

महोदय

सादर निवेदन करना है कि उक्त सत्र परीक्षणीय वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन है जिसमे अभियुक्तगणो के अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर शुक्ल हैं, जो न्यायालय पर अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करते रहते हैं और उक्त पत्रावली में पूर्व मे तिथियाँ नियत करने के बावत भी दबाव डाल चुके हैं, और कहते हैं कि कच्छरी मे सभी अधिकारी वैसा ही करते हैं, जैसा मैं कहता हूँ, यदि कोई अधिकारी मेरे कहने से कार्य नहीं करता है तो मैं उनकी झूठी शिकायतें भी करता हूँ ।

उक्त पत्रावली में भी उक्त अधिवक्ता दिनांक 01. 11. 2021 को आदेश पत्र लिखे जाने और पक्षकारों के चले जाने के पश्चात श्रीमान जी को झूठी शिकायत कर चुके हैं जो कागज सं० 60B के रूप मे पत्रावली पर संलग्न है ।

आज दिनांक 12. 11. 2021 को चन्द्र शेखर शुक्ल अधिवक्ता ने अपने जूनियर अधिवक्ता धर्मेन्द्र के माध्यम से न्यायालय में अभियुक्तगणो का हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भिजवाया और छायाप्रति पर न्यायालय द्वारा पावती देने के लिए कहा । इससे ज्ञात होता है कि चन्द्रशेखर शुक्ल अधिवक्ता न्यायालय की गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और न्यायिक कार्य मे जानबूझकर व्यवधान कारित कर रहे हैं । अधिवक्ता के उक्त निन्दनीय आचरण से मैं आहत हूँ, और अब मैं व्यक्तिगत रूप से उक्त पत्रावली का निस्तारण नहीं करना चाहता हूँ ।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय मे अंतरित करने की कृपा करें ।

भवदीय

12. 11. 2021  
( विमल प्रकाश आर्य)

अपर सत्र न्यायाधीश( F. T. C. ), झासी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

दिनांक: 12. 11. 2021

12. 11. 2021

12/6

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

पश्चम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिता के तहत)

1. District झांसी P.S. महिला धाना Year 2016  
(ज़िला): (थाना): (वर्ष):

FIR No. 0048 Date & Time of FIR 25/06/2016 14:45  
(प्र.सू.रि. स.): (प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): वर्ज

2. S.No. Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एं))  
(क्र.स.)

- 1 भा द स 1860 376-D  
2 भा द स 1860 506  
3 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता 3(2)(5)  
निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015)

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day दरमियानी दिन Date From 01/12/2015 Date To 23/06/2016  
(दिन): (दिनांक से ): (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): Time From 00:00 बजे Time To 00:00  
(समय से ): (समय तक): बजे

CIR No. UP 3204 009921 2016

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date 25/06/2016 Time (समय): 14:45 बजे  
(दिनांक):

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. 014 Date & Time 25/06/2016 14:  
(प्रविष्टि सं.): (दिनांक और समय): 45 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

Direction and distance from P.S. Beat No.  
1. (a) (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 4 किमी (बीट सं.):  
(b) Address आर्यकन्या चौराहे के पास थाना सीपरी बाजार, झासी  
(पता):

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then

(यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. महिला थाना  
(थाना का नाम):

District(State) झासी(उत्तर प्रदेश)  
(ज़िला (राज्य)):

**6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ):**

(a) Name (नाम): श्रीमती नन्दनी खटीक

(b) Wife's Name (पत्नी का नाम) : नरेन्द्र खटीक

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष ):

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान ):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No., Driving License,PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. | Address Type Address (पता)

(क्र.सं.) (पता का प्रकार)

1	वर्तमान पता	258,दरीगरान,कोतवाली,झासी,उत्तर प्रदेश,भारत
---	-------------	--

2	स्थायी पता	258,दरीगरान,कोतवाली,झासी,उत्तर प्रदेश,भारत
---	------------	--

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (टूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-7238968443

**7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars**

(जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

N.C.R.B (गन.सी.आर.बी)  
11 F-1 (पार्किंग नंबर -1)

S.No.	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name Present Address (जीवनदाता का नाम) (जीवन पता)
(क्र.स.)			
1	अशु लिखधारी		पिता का नाम नाही शेखर शुक्ला
	चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट		पिता का नाम भजन

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण):  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज करने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (सर्वान्धित सम्पति का विवरण):

S.No.	Property Category (क्र.स.)	Property Type (सम्पति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं. यदि कोई हो ):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य ):

नकल प्राप्त टाइप शुटा हिन्दी वादनी सेवा में, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद झासी महोदय निवेदन है कि प्रार्थिया M0N0 258, दरिगारान थाना कोतवाली जिला झासी की निवासी है प्रार्थिया अपने पति व बच्चों के साथ रहती है अशु लिखधारी पत्र श्री जगदीश लिखधारी निवासी घास मण्डी बड़ा बाजार थाना कोतवाली झासी ने प्रार्थिया के जेठ धर्मेन्द्र को सलाह मशविरा करके झूठे मुकदमे में थाना करैरा जिला शिवपुरी में करीब एक वर्ष पूर्व बन्द करा दिया था जिसमें प्रार्थिया के जेठ पांच माह के झूटे थे प्रार्थिया को मोबाइल नंबर 7084951426, 7238968443 पर धमकी टेकर प्रार्थिया को अंशु लिखधारी अपने घर आर्यकन्या चौराहे के पास सीपरी बाजार, झासी में दिसम्बर 2015 को बुलाया था और प्रार्थिया को तमाम तरह से डरा धमका कर उसके साथ अवैध सम्बन्ध बना कर उसे ब्लैक मैल करने लगा था **अशु लिखधारी के साथ उसका दोस्त चन्द्र शेखर शुक्ला एडवोकेट ने भी प्रार्थिया के साथ जवारदस्ती बन्दूक के टम पर बलात्कार किया था तथा लगातार प्रार्थिया के साथ उसकी इज्जत से खेलते रहे प्रार्थिया अपने परिवार की खातिर अशु लिखधारी आदि के अत्याचारों को वर्दास्त करती रही जब प्रार्थिया ने उक्त घटना अपने पति को बताने के लिये कहा तो अशु लिखधारी व **चन्द्र शेखर शुक्ला ने प्रार्थिया को कल दिनांक 23.06.2016 को मोबाइल पर फोन किया कि तुम सीधे तरह से यहां आजो और अगर पुलिस से शिकायत की तो तुम्हे और तुम्हारे पति नरेन्द्र को किसी झूठे मुकदमे में फसा कर****

जीवन बद्दा त्रिवेदो यह कि अंशु लिखधारी व बन्द शेखर शुक्ला काफी चालाक शास्त्री व  
बदमाश किस्म के व्यक्ति है तथा इनके बिरुद्ध पौजदारी के कई मुकादमें चल रहे हैं इन लोगों  
का काफी भय व आतंक है अंशु लिखधारी आटि प्रार्थिया व उसके परिवार वालों के साथ  
कभी भी कोई सारी घटना घटाई तरक्की कर सकते हैं प्रार्थिया के अंशु लिखधारी आटि से अपनी  
व अपने परिवार की जान माल व सख्त आदेश है अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि अंशु  
लिखधारी व चन्द शेखर शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके प्रार्थिया को उनके उत्पीड़न से  
मुक्त कराकर प्रार्थिया व उसके परिवार की जान माल की रक्षा करने की कृपा करें श्रीमान जी  
की अति कृपा होगी प्रार्थिया Sd नन्दनी श्रीमती नन्दनी पत्नी श्री नरेन्द्र निवासी 258  
दरीगरान थाना कोतवाली झांसी शिल्प 109/16 दिन 24.6.16 नोट प्रमाणित किया  
जाता है कि मुझ में 03A0 1334 रेखा देवी द्वारा प्राप्त पत्र की नकल कम्प्यूटर पर शब्द व  
शब्द की गयी है दिन 25.06.16

**13. Action taken:**

Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का  
तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है।)

**(1) Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया  
गया और जांच के लिए लिया गया):

or  
(या)

**(2) Directed (Name of I.O.)**  
(जांच अधिकारी का नाम):

**Rank**  
(पद):

No. to take up the Investigation  
(सं.): (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

**(3) Refused investigation due to (जांच के लिए ):**

सेवा में,

माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,

झौसी

विषय :- अपर सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी० छितीय) श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा प्रतिष्ठोध की भावना से विधि विस्तृ पत्रावली तैयार कर अपमानित करने के उददेश्य से कार्यवाही करने के सम्बन्ध में :-

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे स्पष्ट होकर प्रतिष्ठोध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसमें न तो मुकदमा का विवरण अकिंत है न ही धारा एवं थाना अकिंत है और मुझे अभियुक्त बनाकर दिनोंक-30.11.2021 को एक सम्मन जारी किया गया है जिसमें दिनोंक-24.12.2021 तिथि नियत की गयी है यह सम्मन मेरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है मेरे विस्तृ किसी भी धाने का कोई मुकदमा उनके न्यायालय में लम्बित नहीं है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह मेरे विस्तृ गिरफ्तारी वारंण्ट जारी कर जेल भेजना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने पूर्व में धमकी दी थी जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूँ मैं पहली बार ऐसा सम्मन देख रहा हूँ जिसमें मुकदमें का विवरण अकिंत नहीं है इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर षड्यंत्र मेरे विस्तृ कर रहे हैं सम्मन की छाया प्रति साथ में संलग्न है।

अतः महोदया से प्रार्थना है कि उक्त पत्रावली का संज्ञान लेकर एवं पत्रावली मंगाकर कार्यवाही करने की कृपा करें अन्यथा वह अपने षड्यंत्र में सफल हो जायेंगे।

दिनोंक-02.12.2021

अवदीय

१००११०२१/१२५  
(चन्दशेखर शुक्ला)

सी०जे०एम० कोर्ट कम्पांजुड झौसी

Chief Administrative Officer  
District Judges Court  
JHANSI

Recd Copy



INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

## e-Stamp

Certificate No.  
Certificate Issued Date  
Account Reference  
Unique Doc. Reference  
Purchased by  
Description of Document  
Property Description  
Consideration Price (Rs.)  
First Party  
Second Party  
Stamp Duty Paid By  
Stamp Duty Amount(Rs.)

IN-UP58263757537408T  
03-Dec-2021 01:42 PM  
NEWIMPACC (SV)/ up14180504/ JHANSI SADAR/ UP-JHS  
SUBIN-UPUP1418050400652976114801T  
CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA  
Article 4 Affidavit  
Not Applicable  
  
CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA  
Not Applicable  
CHANDRASHEKHAR SHUKLA SO LT K B SHUKLA  
10  
(Ten only)



Please write or type below this line-----

**समझ :- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय,  
उच्च न्यायालय प्रयागराज  
(इलाहाबाद)**

**द्वारा माननीय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदया,**

**झौसी**

**शपथपत्र मिनजानिव चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट पुत्र स्व० श्री के०बी० शुक्ला निवासी  
1082 वन्दा होटल के पीछे पुरानी तहसील सिविल लाईन थाना नवावाद जिला झौसी**

## Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp or Certificate should be verified at '[www.stampstamp.com](http://www.stampstamp.com)' or using e-Stamp Mobile App of State Building.
- Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it Invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

३

विषय अपर सत्र न्यायालय प्रकारी दस्तावेज वा अमन आयो के विरुद्ध करने एवं आवेलम्ब एनके न्यायालय से दायेक वाद अन्तरित करने के सम्बन्ध में।

01- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि शपथकर्ता उपरोक्त पत्र का निवासी है।

02- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि जनपद झौसी में जब मेरी विमल आयो जी ने कार्यभार ग्रहण किया है उनका अधिवक्ताओं के प्रति दृष्टिहार दिन पति दिन बढ़ता चला जा रहा है अधिवक्ताओं एवं वादकारियों को साये काल 06:00 बजे से 06:30 बजे तक अनावश्यक रूप से खड़ा रखते हैं हत्या के मामलों में जिस कर्मचारी द्वारा केवल पोस्टमार्टम के लिये शव को ले जाया जाता है उसको भी साक्ष्य के लिये न्यायालय में बुलाया जाता है और अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है।

03- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है अधिवक्ताओं एवं मुकदमे के वादियों को नोटिस दिया जाता है न्यायालय अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की धमकी दी जाती है इनके झौसी में चर्चित महिलाओं एवं अन्य समाज विरोधी व्यक्तियों से सम्बन्ध है यह अपने पारिवारिक वाद के कारण स्वस्थ मस्तिष्क से न्यायिक कार्यों का निर्वाहन नहीं करते हैं पूर्व के पद स्थापना के स्थान पर इनकी कई शिकायतें हुयी हैं और ये कई विवादों से घिरे रहे श्री विमल आर्य के विरुद्ध पूर्व में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एवं अन्य अधिवक्ताओं द्वारा माननीय पूर्व प्रशासनिक न्यायमूर्ति से शिकायत की गई थी कोई कार्यवाही न होने के फलस्वरूप इनका मनोवल अत्यधिक बड़ा हुआ है।

04- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा पूर्व में श्री विमल प्रकाश आर्य की शिकायत महोदया से और माननीय उच्च न्यायालय में की थी जिससे रुक्ष होकर प्रतिषेध की भावना से उनके द्वारा एक पत्रावली तैयार की गयी है जिसमें नेत्रों मुकदमा का विवरण अकिंत है न ही धारा एवं थाना अकिंत है और मुझे अभियुक्त बनाकर दिनांक-30.11.2021 को एक सम्मन जारी किया गया है जिसमें दिनांक-24.12.2021 तिथि नियत की गयी है यह सम्मन मेरे सम्मान एवं प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिये भेजा गया है मेरे विरुद्ध किसी भी थाने का कोई मुकदमा उनके न्यायालय में लम्बित नहीं है मुझे विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वह मेरे विरुद्ध गिरफ्तारी बारंण्ट जारी कर जेल भेजना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने पूर्व में धमकी दी थी जिसकी मैं शिकायत कर चुका हूँ मैं पहली बार ऐसा सम्मन देख रहा हूँ जिसमें मुकदमे का विवरण अकिंत नहीं है इससे पूरी तरह स्पष्ट है कि श्री आर्य योजनाबद्ध तरीके से कोई गम्भीर

लम्बित नहीं है मेरे विरुद्ध कर रहे हैं

05- यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि महोदय के संज्ञान में यह भी लागू अधिवक्ता है कि एक प्रकरण सरकार बनाम बॉबी अहिरवार धारा-302, 504 एवं 3/25 अधिवक्ता अधीनियम जिसका सत्र परीक्षण संख्या-138,139/2012 में दिनांक-10.08.2021 को अभियुक्त के गिरफ्तारी बारंण्ट कर दिया गया था मात्र एक तिथि के गिरफ्तारी अधिपत्र पर अभियुक्त को अभिक्षा में लेकर जेल भेजा गया और कई दिन

सज्जान में 146 विधायकों द्वारा 147 विधायकों द्वारा बनाए गए अधिकारी धारा 147 148 149 307 विधायकों द्वारा अधिकारी धारा 142 2008 में दिनांक 30.09.2021 की दिन तामाचा भूमिगति विधायकों द्वारा किया गया जिसमें 22.10.2021 की 09.11.2021 की तिथि विधायकों द्वारा भी 09.11.2021 को आभेयुक्त अग्रणीय का बिना तामाचारी विधायकों द्वारा अपने विधायकों द्वारा यहाँ यहाँ भी उत्तरेख लगाना आवश्यक है कि एक तिथि के तामाचे के अधिकारी को तेल में रुद्धने के बाद जमानत पर अत्यन्त किया जाता है और दूसरे अधिकारी के अग्रणीय का दूसरांश किया जा रहा है।

06—यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि श्री विमल आर्या छटाचल में आकंठ लिप्त रहते हैं एवं जनपद में इनके कई दलाल सक्षिय हैं मन माफिक ऐसा न मिलने पर पक्षद्वारी साक्ष्य में भी कई प्रकरणों से सजायाव किया गया है अधिवक्ताओं से दुव्यवहार व अवमाननीय व्यवहार एवं असंसंगीय भाषा का प्रयोग करने पर कियी समय अधिवक्ताओं और श्री विमल आर्या के मध्य गम्भीर विवाद की स्थिति बन सकती है।

07—यह कि मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि माननीय महादय से प्रार्थना है कि न्यायहित को द्रष्टिगत रखते हुये और अधिवक्ताओं एवं श्री विमल आर्या के मध्य कोई विवाद न हो अविलम्ब उनके न्यायालय से दाखिल मामले को अन्य न्यायालय में अन्तरिक करने और इन्हे इस जनपद से बाहर स्थानान्तरण करने के उपरान्त उनके विरुद्ध जांच कराने की कृपा करें उनके झौसी में पदस्त रहते हुये वह जांच को प्रभावित करेंगे और अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बड़ा देंगे।

#### तस्दीक

यह कि मैं शपथकर्ता वहल्फ व्यान करता हूँ कि शपथपत्र की धारा—1 तामायत 7 मेरे निजी ज्ञान से सब सच व सही है इसमें कुछ भी वात छिपायी नहीं गयी है। यी तस्दीक आज दिनोंके—03.12.2021 को आहता कचहरी झौसी की गई।

शपथकर्ता

छत्रिलिपि ;— सापनीय जनपद एवं स्थानान्तरण अधीक्षण झौसी

Serial No. 85.2912-1  
Certified that the foregoing statement  
sworn before me this day  
of Shri/Smt. C. S. Sankaran  
to whom the above person has availed  
been read over and he has understood and who  
is identified by me and who  
Received the same on the day of  
Signature of the witness  
Judge in the Court  
District Advocate  
Mortuary Jhansi District

03/12/2021

Judge in the Court  
District Advocate  
Mortuary Jhansi District  
03-12-2021



Chief Administrative Officer  
District Judges Court  
JHANSI

(12/16)

प्रेषक ( विमल प्रकाश आये )  
 अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झासी ।  
 ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा मे श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
 झासी ।

विषय : अर्द्ध शासकीय पत्राक सं० 28/ 2021 दिनांकित 09. 12. 2021A

संदर्भ : श्री चन्द्रशेखर शुक्ला के प्रार्थनापत्र दिनांकित 02. 12. 2021 पर श्रीमान जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02. 12. 2021 के सम्बन्ध में ।

महोदया  
 सादर अवगत कराना है कि उक्त अधिवक्ता के द्वारा शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ मूल रूप से प्राप्त शुद्ध सम्मन की छायाप्रति नहीं है ।  
 आख्या सादर प्रेषित ।

दिनांक: 10. 12. 2021

भवदीय

  
 10/12/2021  
 ( विमल प्रकाश आये )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झासी ।  
 ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

नोट: दिनांक 10. 12. 2021 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

12/17

ADJ/FTC/H

न्यायालय श्रीमान जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय झौसी

अन्तरण प्राप्तिसंख्या-

सन 2021

चन्द्रशेखर शुक्ला एडवोकेट रीफ्जे०एम० कोर्ट कम्पाउण्ड झौसी।

बनाम

सरकार उप्रो

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 408 द०प्र०स०

धारा- अज्ञात

थाना- अज्ञात

जिला झौसी

मु०न०- अज्ञात

महोदय,

विनम्र प्रार्थना है कि अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०- 14 इ



द्वारा एक सम्मन बतौर अभियुक्त मुझे भेजा गया है जिसमें न तो मुकदमा नम्बर है =  
धारा व न ही थाना अंकित है। जिसके सम्बन्ध में अन्तरण प्रार्थना पत्र निम्न आ

प्रस्तुत है :-

- 1- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य के विरुद्ध मेरे द्वारा कई शिक  
की गयी है।
- 2- यहकि कुछ मुकदमें मेरे पक्षकारों द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय और मह  
को शिकायते की गयी है।
- 3- यहकि अन्तरण प्रार्थनापत्रों में पक्षकारों की ओर से मै स्वयं अधिवक्ता हूँ।
- 4- यहकि पीठासीन अधिकारी श्री विमल प्रकाश आर्य मुझसे व्यक्तिगत द्वेष मानते है
- 5- यहकि श्री विमल प्रकाश आर्य द्वारा यह कहा गया है कि प्रकरण में मैने जानबूँ  
दिनांक 24.12.2021 की तिथि नियत की है उस तिथि को मै इस प्रकरण में व  
जारी करूँगा। क्योंकि दिनांक 24.12.2021 के पश्चात शीत कालीन अवकाश हो रहा
- 6- यहकि व्यक्तिगत द्वेष के कारण उपरोक्त सम्मन जारी किया गया है ऐसा  
सम्मन है जिसमें धारा, थाना व प्रकरण का अन्य विवरण अंकित नहीं है।
- 7- यहकि उपरोक्त प्रकरण न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० कक्ष स०-  
से अन्तरित नहीं किया जाता है तो वह मुझे अपूर्णनीय क्षति पहुँचायेंगे।

प्रार्थना

राज्य  
ओडिशा १५/१२/२१

अधिकारी के दस्तावेज़

दर्ता रिक्टर द०

न्यायाधीश काम्पनी

द्वितीय अधिकारी के दस्तावेज़

करने की कृपा करें।

दर्ता २२/१२/२१

दिनांक - 16.12.2021

सत्र निति द०

अतः महोदयाजी से न्यायहित में प्रार्थना है कि उपरोक्त प्र

जिसमें सम्मन की छायाएति साथ में संलग्न है को किसी अन्य न्यायालय में अन-

किए अस्वीकृत करने की कृपा करें।

दर्ता २२/१२/२१

दिनांक - 16.12.2021

सत्र निति द०

Copy or order forwarded to..... ADJ/FTC (14th F.C.)

for information & Necessary Action

सेक्रेटरी - धाराधीश सम्मन

By Order No. १५/१२/२१

Sadar Mansarai Sessions Clerk

12/18

- 67 -

भवदीय

१५/१२/२१

(चन्द्रशेखर शुक्ला)

एडवोकेट

न्यायालय कोर्ट कम्पाउण्ड झौसी

प्रेषदः ( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झाँसी ।

( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

सेवा में श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झाँसी ।

विषय : अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं० 28/ 2021 दिनांकित 09. 12. 2021A

संदर्भ : मेरे द्वारा प्रेषित आख्या दिनांकित 10. 12. 2021 के सम्बन्ध में ।

#### महोदया

सादर अवगत कराना है कि मैंने अपने पत्र दिनांकित 10. 12. 2021 श्रीमान जी को यह अवगत कराया था कि उक्त अधिवक्ता के द्वारा शिकायती प्रार्थनापत्र के साथ मूल रूप से प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है । बिना किसी आदेश के उक्त तथाकथित सम्मन की छायाप्रति मेरे न्यायालय में कार्यरत श्री बाल्मीकि साहू को दिनांक 17. 12. 2021 को प्राप्त कराने पर उनके द्वारा मेरे समक्ष प्रस्तुत हुई । तब ज्ञात हुआ कि वह मूल रूप से प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है ।

मेरा पुनः यही कथन है कि जो छायाप्रति सम्मन की श्री बाल्मीकि साहू को प्रदत्त करायी गयी है वह मूल रूप से प्राप्त शुदा सम्मन की छायाप्रति नहीं है ।

आख्या सादर प्रेषित ।

भवदीय

  
20.12.2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) ,झाँसी ।

( चौदहवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

नोट: दिनांक 18. 12. 2021 को कार्यालय की डाकवही में चढ़वाकर भिजवाया गया ।

21. 12. 2021

19/20